न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक

प्रकरण संख्या 12/2020

लालाराम बलाई नंद भवन 89 ए रेल्वे सोसायटी बजरंग नगर नयापुरा कोटा राज0।

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला—टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 15—7—2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक को दिनांक 11—03—2020 को आवेदन प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी:—

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पीपलू टोंक राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत काशीपुरा प्रशासन अभियान जन सूनवाई केम्प वितीय वर्ष (2018—19 जून 2018) लगार्या गया था दस्तावेजो कि पुर्ति कर खसरा नं. 222, 224, 258 एवं 271 ग्राम डोढरिया हल्का पटवारी काशीपुरा कैम्प में पत्थर गडी के कम में प्रस्तुत किया था की सूचना देवे।

1— जन सूनवाई कैम्प में प्राप्त प्रार्थना पत्र में कि गई कार्यवाही एवं सक्षम लोक सेवक (तहसीलदार) को दिया गया आदेश पत्रांक उपलब्ध करावे।

क— उपखण्ड कार्यालय से नियम अनुसार कि गई कार्यवाही से प्रार्थी को सूचनार्थ पत्रांक की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे।

ख— उक्त (प्रसंग) प्रार्थना /आवेदन में नियमानुसार कार्यवाही नही किये जाने पर उत्तरदायत्व स्पष्ट कर दोषी अधिकारी का नाम / पद की सूचना उपलब्ध करावे।

ग— प्रसंग प्रार्थना /आवेदन किस—किस लोक सेवक के पास लम्बित (दिनांक से दिनांक) रखा गया उनके नाम पद की सूचना उपलब्ध करावे।

2— उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पीपलू टोंक उपरोक्त खसरा नम्बरों में नियमानुसार पत्थर गडी के कम में रजिस्ट्रेड पत्रांक दिनांक 30.04.2019 स्मरण पत्रांक दिनांक 15.06.2019 , 09.09.2019 प्रषित किये गये पंजिकृत पत्रांक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पीपलू में वितरण होना भारतीय डाक विभाग नें पुष्टि प्रमाण पत्र जारी/प्राप्त किया

जिला कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:51:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

क– प्रेषित पंजीकृत पत्रांक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू में आवक पंजिका पुस्तिका में इन्द्राज किया गया क्रमांक न. उपलब्ध करावे।
ख– पंजीकृत पत्रांक स्मरण पत्रों पर नियमानुसार कि गई कार्यवाही में आवेदन कर्ता को सूचनार्थ किया गया पत्रांक उपलब्ध करावे। अन्य सूचना बिन्दू 1 क, ख, ग में देवे।

3– प्रसंग खसरा नम्बरो 222, 224, 258 एवं 271 ग्राम डोढरिया हल्का पटवारी काशीपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपलू तहसील पीपलू उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पीपलू नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही /कार्यवाही कर सूचनार्थ पत्रांक पंजीकृत प्रेषित करे।
नियमानुसार मूल पत्रावली अवलोकन उपरान्त चिंहित दस्तावेज धारा 7 (1) में देवे एवं पत्रावली अवलोकन की दिनांक /समय /अधिकृत कर्मचारी का नाम/पद सूचनार्थ पत्रांक देवे।

अपीलार्थी द्वारा निर्धरित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला–टोंक से अपीलार्थी को सूचना नहीं देने के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 327 दिनांक 18–6–2020 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा न तो जवाब प्रेषित किया है और न ही अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाई है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की अवधि से 30 दिवस के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवानी चाहिये थी। अपीलान्ट नियमानुसार सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है उसे सूचना नहीं दी गई है। अतः उपखण्ड अधिकारी पीपलू को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलन्ट द्वारा चाही गई सूचना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जावे वाली सूचना निर्णय प्रति प्राप्ति के 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:51:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner